



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 14.03.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 84/25 धारा 109(1)/351(2) बीएनएस वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 अवैध तंमचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद

।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.03.2025 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी चिन्टू उर्फ आदित्य पुत्र निरपाल ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.सुबाम पुत्र रणजीत 2.विशु पुत्र सुनील निवासीगण



ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर व दो अज्ञात अभियुक्तों द्वारा मोटर साईकिल पर सवार होकर उसकी दुकान पर आकर उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिससे वह बाल-बाल बच गया तथा जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 84/25 धारा 109(1)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर द्वारा थाने के मु0अ0सं0 84/25 धारा 109(1)/351(2) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को

गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 01 अवैध तंमचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तंमचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-सुमित पुत्र अजय निवासी ग्राम सिंघावली अहीर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2-सुधीर पुत्र महताब निवासी ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सोनू कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 266 नरेश कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 613 नवीन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 14.03.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध



तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 89/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

वासु पुत्र बबलू निवासी ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 अमरदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 धीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 546 विपिन सिरौही थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4-का0 1068 प्रवीण कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

